



—2286711

2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

पत्रांक- 2032/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई०एस०टी०एण्डपी०) दिनांक- ०९/०१/१५

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,

शहर— लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चर्दौसी, शिकोहाबाद, मुगलसराय,
बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा,
हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज,
मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली,
सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट
धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, विजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा,
मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी,
ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मङ्जनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा
(श्रावस्ती)।

विषय : एन०यू०एल०एम० के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
(ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत डूमैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यादेश,
MOU एवं कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से
रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने
हेतु शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को इम्पैनल्ड किया गया है।
सूडा के पत्रांक संख्या-883/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई०एस०टी०एण्ड पी०), दिनांक
08.06.2015 द्वारा लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी
किये जा चुके हैं।

डूडा के परियोजना अधिकारियों की मासिक समीक्षा से और कौशल प्रशिक्षण के MIS से
यह संज्ञान में आया है कि कुछ शहरों में अभी तक संस्थाओं को कार्यादेश ही नहीं जारी किये
गये और जिन STP के कार्यादेश जारी किये गये उनके साथ MOU आदि की कार्यवाही नहीं की
गई, जिसके कारण प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। यह भी संज्ञान में आया है कि

संस्थाओं को बिना कार्यादेश जारी किये प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। यहॉं यह उल्लेखनीय है कि जब तक संस्थाओं को कार्यादेश के माध्यम से यह निर्देशित किया जाये कि उनको किस ट्रेड में प्रशिक्षण कार्य करना है उसी के अनुरूप MES कोर्स के आधार पर टूल्स/एक्यूपमेंट प्रशिक्षण केन्द्र में संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे।

अतः सभी सी0एम0एम0य०/डूडा को निर्देशित किया जात है कि तत्काल सभी संस्थाओं को कार्यादेश जारी किया जाये MOU किया जाये और प्रशिक्षण केन्द्रों का सत्यापन करते हुए हर हालत में 10 अक्टूबर तक प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये। यह कार्यक्रम मिशन मोड के तहत है अतः आप द्वारा बरती जा रही लापरवाही अक्षम होगी।

भवद्युय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
८/८ मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन को सूचनार्थ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायता परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान उ०प्र०।
4. वेब मास्टर, सूडा को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
८/८ मिशन निदेशक